

In the court of District & Additional Sessions Judge-II

TITAL APPEAL Case No. 120/2012

01.06.2026

उभयपक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभयपक्ष विगत 38 तिथियों से अभिलेख में पैरवी नहीं कर रहे हैं आज बार-बार पुकार किये जाने पर उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस बाद को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है अतः प्रस्तुत अपीलवाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।


(Deepak Kumar-I)

जिला न्यायाधीश

भागलपुर